न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा I.A.S.

प्रकरण संख्या – 14/2019 (अपील)

हेमराज पुत्र हीरालाल जाति मीणा, निवासी–हनुवंतखेडा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

––अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

––रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश दिनांक 24.09.2018 मि0नं0 71/2018 तहसीलदार रामगंजमण्डी कार्यवाही धारा 91 भू रा0 अधि0

उपस्थिति

श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक अपीलान्ट.

निर्णय

दिनांक:–16.10.2019

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी कोटा ने ग्राम हनुवंतखेडा की भूमि खसरा नम्बर 136 की 0.32 हे0 में अतिक्रमण की रिपोर्ट पंटवारी हल्का के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत पश्चातवर्ती अतिकमी मानते हुए प्रकरण संख्या 71/2018 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखल किया जाकर 100/– रूपये का शास्ति व तीन माह (90 दिवस) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 24.09.2018 को निर्णय पारित किया है।

2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 22.01.2019 को पेश की गई है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिकमी की परिभाषा में नहीं आता हे, मौके पर अपीलान्ट का कभी कोई कब्जा नहीं रहा, मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व मौखिक जानकारी के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । हल्का पटवारी ने आज तक अपीलान्ट से कब्जे के बारे में कोई पूछताछ नहीं की है । अधिनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 136 रकबा 0.32 हे0 चारागाह भूमि पर अपीलान्ट को अतिकमी मानते हुए बेदखली का आदेश दिया गया है । अपीलान्ट ने जुर्माने की राशि जमा करा दी है और अपीलान्ट की तरफ उक्त प्रकरण से सम्बन्धित कोई राजकीय राशि बकाया नहीं है । अदालत मातहत

Scanned by CamScanner

ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर कतई गौर नहीं किया है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में नहीं आता है और खसरा नम्बर 98 रकबा 0.16 हे0 का मौके पर कोई वजूद नहीं है । केवल मात्र अभिलेखों की त्रुटि के कारण प्रार्थी अपीलांट को दण्डित किया गया है । उक्त तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए अदालत मातहत ने उक्त आक्षेपित निर्णय पारित करने में कानूनी त्रुटि की है । अपील पेश करने का वाद कारण दिनांक 11.1.2019 को उत्पन्न हुआ जब पुलिस थाना रामगंजमण्डी, जिला कोटा का सिपाही अपीलान्ट को गिरफ्तार करने आ गया तब अपीलान्ट ने तहसील रामगंजमण्डी में जानकारी ली तब अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.09.2018 की जानकारी हुई उसी दिन माननीय अधिनस्थ न्यायालय में अपनी जमानत करवाकर अपील पेश करने हेतु मोहलत ली गई और तुरन्त नकल निर्णय लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल मिलने पर रूपयों पैसों का इन्तजाम होने पर अविलम्ब यह अपील लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनरथ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। पेरोकार सरकार उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया किअपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में नहीं आता हे, मौके पर अपीलान्ट का कभी कोई कब्जा नहीं रहा, मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व मौखिक जानकारी के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । हल्का पटवारी ने आज तक अपीलान्ट से कब्जे के बारे में कोई पूछताछ नहीं की है । अधिनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 136 रकबा 0.32 हे0 चारागाह भूमि पर अपीलान्ट को अतिकमी मानते हुए बेदखली का आदेश दिया गया है । अपीलान्ट ने जुर्माने की राशि जमा करा दी है और अपीलान्ट की तरफ उक्त प्रकरण से सम्बन्धिति कोई राजकीय राशि बकाया नहीं है । तथा भविष्य में कभी अतिक्रमण नहीं करने बाबत कथन किया । इसलिए अपील स्वीकार की जावें ।

5. पेरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी ली जाकर प्रकरण दर्ज कर नोटिस पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दिया है। रिपोर्ट पटवारी से अतिक्रमण, पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया। न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.09.2018 के विरूद्व यह अपील दिनांक 22.01 2019 को पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के दिनांक 24.09.2018 के निर्णय का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 11.01.2019 को होना बताते हुऐ विलम्ब को माफ कराने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट मय अपीलान्ट के शपथ पत्र पेश किया गया है। इसलिए धारा 5 लिमिटेशन एक्ट

Scanned by CamScanner

का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अवधि मध्य मानी जाती है। यदि कोई विलम्ब हुआ भी है तो वह क्षम्य है।

7. अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की है कि हेमराज आत्मज हीरालाल जाति मीणा निवासी ग्राम हनुवंतखेडा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ने ग्राम हनुवंतखेडा की चारागाह भूमि खसरा नम्बर 136 रकबा 0.32 हैक्टेयर में अनाधिकृत कब्जा काश्त किया है। इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अर्न्तगत दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि के बाबत नोटिस जारी किया जाकर उसे बेदखल करते हुए 100/– रूपये का जुर्माना तथा पश्चावर्ती अतिक्रमी मानते हुए 03 माह (90 दिवस) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।

8. अपीलान्ट ने विवादित आराजी से कब्जा हटाया जाना और तावान जमा कर दिया जाना तथा भविष्य में भीं उपरोक्त भूमि पर कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए तत्पर होना बताया है। ऐसी स्थिति में अपील आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलांट ने विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया हो, तावान जमा करा दिया हो तथा भविष्य में कब्जा नहीं करने बाबत अन्डरटेकिंग अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दे तो इस स्थिति में सिविल कारावास का दण्ड निरस्त किया जाता है शेष आदेश बाबत बेदखली एवं तावान कायमी यथावत रखा जाता है।

10. निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)

जिला कलक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner